



झारखण्ड राज्य पारामेडिकल परिषद


Jharkhand State Paramedical Council

रिम्स चिकित्सक आवास परिसर, बरियातु, राँची-834009, झारखण्ड, भारत

RIMS Doctors' Colony Campus, Bariatu, Ranchi-834009, Jharkhand, India

E-mail: jspcranchi@gmail.com Tele-Fax:-0651-2972681

(Constituted by the Department of Health, Medical Education & Family Welfare, Government of Jharkhand vide Notification no- 7(A)/Paramed -11-09/09-356(7A)Ranchi, Dated 17.9.2010)



59

डॉ. वीरेन्द्र प्रसाद सिंह
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड सह
अध्यक्ष
Dr. Birendra Prasad Singh
Director in Chief,
Health Services, Jharkhand cum
Chairman

प्रो.डॉ. डी के सिंह
शल्य विभाग, रिम्स, राँची सह
सदस्य-सचिव एवं कार्यकारी
निदेशक
Prof. Dr. D K Sinha
Surgery Dept. RIMS,
Ranchi cum
Member Secretary &
Executive Director

प्रो.डॉ.आर के गुप्ता
विभागाध्यक्ष चक्षु रोग विभाग,
रिम्स, राँची सह
शैक्षणिक समन्वयक
Prof. Dr. R K Gupta
Head of Dept.,
Dept. of Ophthalmology
RIMS, Ranchi cum
Academic Coordinator

डॉ. एम. दीपक लकड़ा
चक्षु रोग विभाग, रिम्स, राँची सह
निबंधक
Dr. M. Deepak Lakra
Dept. of Ophthalmology
RIMS, Ranchi cum
Registrar

डॉ. राजीव रंजन
ऐनाटोमी विभाग, रिम्स राँची सह
परीक्षा नियंत्रक
Dr. Rajiv Ranjan
Dept. of Anatomy,
RIMS, Ranchi cum
Examination Controller

सं.सं.-पारा.मेडि./ मान्यता-15/2023. 208

प्रेषक,

प्रो.डॉ.डी.के. सिंह
सदस्य सचिव सह कार्यकारी निदेशक
झारखण्ड राज्य पारामेडिकल परिषद्, राँची।

सेवा में,

प्राचार्य,
मेदनीराय चिकित्सा महाविद्यालय, मेदनीनगर, पलामू

राँची, दिनांक: 12/10/2023

विषय:- पारामेडिकल पाठ्यक्रमों के संचालन की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सम्बन्ध में आपके संस्थान द्वारा विहित प्रपत्र में प्राप्त प्रस्तावित संस्थान, राजकीय पारामेडिकल संस्थान, मेदनीराय चिकित्सा महाविद्यालय, मेदनीनगर, पलामू का गठित विशेषज्ञ समिति के द्वारा दिनांक 04/10/2023 को आवेदित पाठ्यक्रमों का भौतिक निरीक्षण किया गया। समिति के प्रतिवेदन के अनुसार आपके संस्थान को झारखण्ड पारामेडिकल/पाराडेन्टल निबंधन, नियंत्रण एवं परीक्षा संचालन तथा पारामेडिकल परिषद् गठन नियमावली-2010 की कण्डिका-15 से 25 के आलोक में निम्न पाठ्यक्रमों की मान्यता शर्तों के साथ वर्ष 2023-24 से अगले आदेश तक दी जाती है:-

क्रम सं.	पारामेडिकल पाठ्यक्रम का नाम	सीटों की संख्या
i.	Diploma in Medical Laboratory Technician	20
ii.	Diploma in O.T. Technician/Assistant	05
iii.	Diploma in X-Ray Tech./Radiographer	05
iv.	Diploma in Ophthalmic Assistant	05
v.	Diploma in Hearing Language & Speech Therapy	02
vi.	Diploma in ECG/Non Invasive Cardiology Lab Technician	05
vii.	Diploma in Anesthesia Technician	05

शर्तेः—

- 1- झारखण्डराज्य पारामेडिकल काउंसिल, राँची के द्वारा इस संस्थान की मान्यता जारी रखने हेतु प्रतिवर्ष निरीक्षण किया जायेगा एवं संस्थान के अनुरूप पाठ्यक्रमों एवं नामांकन क्षमता को बढ़ाया/घटाया जायेगा। निरीक्षण हेतु विहित शुल्क संस्थान द्वारा परिषद् को प्रतिवर्ष देय होगा।
- 2- आप उक्त पारामेडिकल पाठ्यक्रमों के सीटों की संख्या झारखण्ड राज्य पारामेडिकल परिषद्, राँची, विनियमावली 081 /झा.पा.प., राँची, दि. 25. 03.2014 के अनुसार छात्र/छात्राओं का प्रवेश एवं "फी" ले सकेंगे।

3. आप प्रतिवर्ष पारा मेडिकल पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रमवार छात्रों के नामांकन की पूर्ण विवरणी नामांकन पूर्ण होने के पश्चात् एक माह के अंदर झारखण्ड राज्य पारामेडिकल काउंसिल, राँची को संसूचित करेंगे।
4. यह मान्यता झारखण्डराज्य पारामेडिकल परिषद् के शासी परिषद् की बैठक की प्रत्याशा में दी जा रही है, मान्यता की घटनोत्तर स्वीकृती अगली शासी परिषद् की बैठक में ले ली जायेगी।

विश्वासभाजन

(प्रो.डॉ.डी.के. सिन्हा)

सदस्य सचिव सह कार्यकारी निदेशक
झारखण्ड राज्य पारामेडिकल काउंसिल, राँची।